

अनुक्रमणिका

विषय	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		vii
विहंगावलोकन		ix-xiii
भाग-‘क’ (राजस्व क्षेत्र)		
अध्याय-1		
सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1-5
राजस्व बकाया का विश्लेषण	1.2	5-6
निर्धारण में बकाया	1.3	6
कर का अपवंचन	1.4	7
प्रतिदाय मामले	1.5	7
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	8-9
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.1	9
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.6.2	9
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.6.3	9
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों पर विभागों द्वारा की गई कार्रवाई: परिवहन विभाग की विस्तृत स्थिति	1.7	10
निरीक्षण प्रतिवेदन	1.7.1	10
स्वीकृत मामलों की वसूली	1.7.2	10
आन्तरिक लेखापरीक्षा	1.8	11
लेखापरीक्षा योजना तथा लेखापरीक्षा परिणाम	1.9	11
प्रतिवेदन में सम्मिलित राजस्व अध्याय	1.10	11

अध्याय-2

अनुपालना लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

कर प्रशासन	2.1	13
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	13-17
बिक्री तथा व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर		
रियायती दर पर कर की अनुमति	2.3	18-19
फार्म- आई पर कर की रियायती दर की अनुमति	2.4	19-20
सांविधिक फार्मों के बिना रियायत प्रदान करना	2.5	20-22
टर्न ओवर का गलत निर्धारण	2.6	22
ब्याज का अल्प उदग्रहण	2.7	23
प्रवेश कर का अल्प उदग्रहण	2.8	23-24
बिक्री एवं स्टॉक को छिपाना	2.9	25-26
ठेकेदार का निर्धारण	2.10	26-27
मजदूरी प्रभारों की अधिक अनुमति	2.11	28
राज्य आबकारी		
लाइसेंस फीस की अल्प वसूली	2.12	29-30
न्यूनतम गारंटीकृत कोटे से कम शराब उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का अनुदग्रहण	2.13	30-31
अनुबंधित गोदामों/मद्यशालाओं पर तैनात आबकारी कर्मचारी के वेतन की अल्पवसूली/वसूली न करना	2.14	31-32
बॉटलिंग शुल्क की वसूली न करना	2.15	32
विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण	2.16	32-33
स्टाम्प शुल्क		
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन फीस का उदग्रहण एवं संग्रहण	2.17	34-39
बाजारी मूल्य के गलत निर्धारण के कारण पट्टा राशि, स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फीस की अल्प वसूली	2.18	39-40
वाहन, यात्री एवं माल कर		
टोकन कर की अवसूली	2.19	41-43
आबकारी एवं कराधान विभाग में वाणिज्यिक वाहनों का पंजीयन न होना	2.20	43-44
यात्री एवं माल कर की अवसूली	2.21	44-45
ग्रीन टैक्स (हरित कर) तथा उपकर की अवसूली	2.22	46
वन प्राप्तियां		
रेजिन एवं लकड़ी पर रॉयल्टी का उदग्रहण तथा संग्रहण	2.23	47-52
जब्त लकड़ी का निपटान न करना	2.24	52
रेजिन ब्लोजों का निःस्त्रवण न होना	2.25	52-53

भाग-‘ख’ (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
अध्याय-3		
परिचय		
सामान्य	3.1.1	55
लेखादायित्व की रूपरेखा	3.1.2	56
सांविधिक लेखापरीक्षा	3.1.3	56
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	3.1.4	56-57
सरकार तथा विधान मण्डल की भूमिका	3.1.5	57
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश	3.1.6	57-59
अध्याय-4		
राज्य के विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति		
परिचय	4.1	61-62
राज्य में बिजली की मांग, उपलब्धता एवं आपूर्ति की स्थिति	4.2	62
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन/निर्माण	4.3	62-63
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का पुनर्गठन, निजीकरण एवं विनिवेश	4.4	63-64
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	4.5	64-65
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	4.6	65
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	4.7	65-66
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन	4.8-4.19	66-72
उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत सहायता	4.20	72-74
विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां	4.21	74-75
अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद	4.22	75
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई	4.23	75
लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा	4.24	75-76
लोक उमक्रम समिति की रिपोर्टों की अनुपालना	4.25	76
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित		
जल विद्युत परियोजना का परिचालन, रखरखाव एवं मरम्मत	4.26-4.26.8	77-91
विद्युत का अनधिकृत उपयोग	4.27	91-92
निर्धारित मांग प्रभारों की अवसूली	4.28	93-94
उपभोक्ताओं को अनुचित लाभ	4.29	94-95

अध्याय-5

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यपद्धति

परिचय	5.1	97
राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान	5.2	97
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	5.3-5.4	98
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनःसंरचना तथा निजीकरण	5.5	98
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	5.6	98-99
हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	5.7	99-100
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखों की प्रस्तुति	5.8	100-101
सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	5.9	101
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव	5.10	101
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का प्रदर्शन	5.11-5.23	101-108
राज्य के अकार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बन्द होना	5.24	108-109
राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियां	5.25-5.26	109
अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद	5.27	110
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	5.28-5.30	110-111
हिमाचल प्रदेश बेवरेजेज लिमिटेड		
प्रणालीगत कमियों के कारण अवसूली	5.31	111-112
हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड		
कर्मचारी भविष्य निधि में अधिक अंशदान	5.32	112-113
हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित		
कर्मचारियों को वित्तीय लाभ	5.33	113-114
हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम		
₹ 47.19 लाख का अतिरिक्त व्यय	5.34	114
हिमाचल पथ परिवहन निगम		
फास्टैग का न लगाना - नगद वापसी का लाभ न उठाना	5.35	115
छूट का लाभ न उठाना	5.36	116-117

परिशिष्ट		
भाग 'क' (राजस्व प्रतिवेदन)		
परिशिष्ट संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट 1.1	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	119
परिशिष्ट 1.2	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	120
परिशिष्ट 1.3	निरीक्षण प्रतिवेदन	121
परिशिष्ट 1.4	स्वीकृत मामलों की वसूली	122
परिशिष्ट 2.1	सांविधिक फार्म-सी के बिना रियायत प्रदान करना	123
परिशिष्ट 2.2	सांविधिक फार्म-एफ के बिना रियायत प्रदान करना	124
परिशिष्ट 2.3	रॉयल्टी-रेजिन के विलंबित भुगतान पर रॉयल्टी एवं ब्याज का दावा न करना	125
परिशिष्ट 2.4	रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर रॉयल्टी एवं ब्याज का दावा न करना-लकड़ी	126
भाग 'ख' (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)		
परिशिष्ट 3.1	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम अंतिम रूप दिये वित्तीय विवरणों/लेखाओं के अनुसार सारांशित वित्तीय स्थिति एवं कार्य चालन परिणाम	127-128
परिशिष्ट 4.1	नवीनतम वर्ष हेतु विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के सारांशित वित्तीय परिणाम जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया गया	129
परिशिष्ट 4.2	आरम्भ से 31 मार्च 2019 तक विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों को प्रदर्शित करने वाले विवरण	130
परिशिष्ट 4.3	22 जल उत्पादन केन्द्रों की स्थापित क्षमता एवं स्थापना वर्ष को प्रदर्शित करने वाले विवरण	131
परिशिष्ट 4.4	अधिक अतिरिक्त खपत दर्शाने वाले विवरण	132
परिशिष्ट 4.5	उपभोक्ता द्वारा विद्युत के अनधिकृत उपयोग को दर्शाने वाले विवरण	133
परिशिष्ट 4.6	मूल अनुबंध मांग के मांग प्रभारों की वसूली एवं उदग्रहण करने में विफलता को दर्शाने वाले विवरण	134
परिशिष्ट 5.1	31 मार्च 2019 तक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित इक्विटी एवं बकाया ऋणों की स्थिति प्रदर्शित करने वाले विवरण	135-136
परिशिष्ट 5.2	31 मार्च 2019 तक शेष इक्विटी, ऋण तथा गारंटी के सम्बन्ध में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखाओं के मध्य अंतर प्रदर्शित करने वाले विवरण	137
परिशिष्ट 5.3	राज्य के कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाया थे, में राज्य सरकार के निवेश को प्रदर्शित करने वाले विवरण	138
परिशिष्ट 5.4	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष हेतु अंतिम रूप दिये गए लेखाओं का सारांशित वित्तीय परिणाम	139-140
परिशिष्ट 5.5	1999-2000 से 2018-19 की अवधि के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार द्वारा निवेशित निधियों को दर्शाने वाले विवरण	141-143

